कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) में आरक्षण कार्यालय

*42 **श्री महेश्वर सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वह सच है कि दिनांक 14 अगस्त, 1997 को राज्य सभा में 1997-98 की अनुपूरक अनुदान मांगों (रेलवे) पर बहस के दौरान कुल्लू में एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण एवं बुकिंग कार्यालय खोलने का मामला उठाया गया था और उन्होने यह आश्वसन दिया था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुल्लू और मनाली विश्व स्तर के पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर इस प्रकार का एक कार्यालय खोला जाएगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं;

(ग) कुल्लू में कंप्यूटरीकृत आरक्षण/बुकिंग कार्यालय कब तक स्थापित कर दिया जाएगा; और

(घ) इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) जी हां। अन्य बातों के साथ, यह भी कहा गया था कि वहां इन सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) से (घ) व्यावहारिकता रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और राज्य सरकार द्वारा भूमि/इमारत उपलब्ध करा दिए जाने के बाद कुल्लू या मनाली में कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोलने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

अजमेर में रेलवे की सम्पत्ति

*43. **श्री ओंकार सिंह लखावत**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अजमेर में रेलवे के पास कुल कितनी भूमि उपलब्ध है और कितने बंगले तथा क्वाटर्स (आवासीय) उपलब्ध हैं;

(ख) अधिकारियों तथा कर्मचारियों हेतू कितने आवासों की आवश्यकता है; और

(ग) क्या रेल कर्मचारियों के आवास हेतु रेल मंत्रालय द्वारा कोई राशि स्वीकृत की गई है; यदि हां, तो कितनी?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) और (ख) अजमेर में रेलवे की कुल अपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल 440 हेक्टेयर है। बंगलों सहित कर्मचारी क्वार्टरों की कुल संख्या 2869 है। क्वार्टर के आबंटन के लिए 2007 कर्मचारी प्रतीक्षा सूची में हैं।

(ग) जी हां। 49.61 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 36 कर्मचारी क्वार्टरों के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई है और वर्ष 1997-98 के दौरान 2 लाख रुपए के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

जंतर मंतर का संरक्षण

*44. **श्री ईश दत्त यादव**:
श्री राम गोपाल यादव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित ऐतिपासिक स्मारक जंतर मंतर का आस्तित्व खतरे में है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त स्मारक के साथ-साथ मानव जीवन को भी खतरा है; और

(ग) यदि हां, तो मानव जीवन के साथ-साथ उक्त स्मारक के संरक्षण हेतु सरकार क्या और कब तक त्वरित कार्रवाई करेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस. आर. बोम्पई): (क) से (ग) जंतर मंतर स्मारक परिसर को कोई खतरा नहीं है। स्मारक के पश्चिमी और दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में लगी हुई भूमि नई दिल्ली नगर पालिका के नियंत्रण में है जिसे लगातार प्रदर्शनों, सार्वजनिक बैठकों इत्यादि के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भूमि पर बड़ी संख्या में तम्बू गाड़े गए हैं और इनमें कुछ परिवार रह रहे हैं। चूंकि इससे स्मारक और संबंद्ध भूमि के दुरुपयोग की संभावना बनी हुई है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तम्बू वालों को हटाने और इस भूमि को भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण को स्थानान्तरित करने के लिए इस मामले को शहरी विकास मंत्रालय के साथ उठाया है।

MPs memorandum for rcvival of fertilizer units

*45. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether about 50 MPs had submitted a memorandum on 5th August, 1997 to his Ministry through the Prime Minister for revival of Durgapur, Barauni units of Hindustan Fertilizer Corporation